



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2019/भाद्र 5, 1941

No. 488]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2019/BHADRA 5, 1941

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(एमआरटीएस-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 601(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेट्रो रेल (सार्वजनिक वाहन और टिकट) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**-(1) इन नियमों का नाम मेट्रो रेल (सार्वजनिक वाहन और टिकट) संशोधन नियम 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. मेट्रो रेल (सार्वजनिक वाहन और टिकट) नियम, 2014 में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा; अर्थात:-

***3. माल अथवा सामान के लिए सार्वजनिक वाहन-**

(1) कोई भी व्यक्ति, मेट्रो रेल में यात्रा करते समय, मेट्रो रेल प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना निजी सामग्री से भरा यात्री सामान, जिसका आकार 80 सेंटीमीटर x 50 सेंटीमीटर x 30 सेंटीमीटर तथा सकल भार 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, से भिन्न अपने साथ कोई सामान नहीं ले जाएगा। बंडलों के रूप में सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।

(2) एयरपोर्ट कनेक्शन हेतु मेट्रो लाइन के मामले में कोई भी व्यक्ति, मेट्रो रेल में यात्रा करते समय, मेट्रो रेल प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना निजी सामग्री से भरे दो सामान, जिनका आकार 90 सेंटीमीटर x 75 सेंटीमीटर x 45 सेंटीमीटर तथा सकल भार 32 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, को छोड़कर अपने साथ कोई सामान नहीं ले जाएगा। बंडलों के रूप में सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।

[फा.सं. के-14011/16/2018-एमआरटीएस-II]

के. संजय मूर्ति, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 899(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 837 (अ), तारीख 6 सितम्बर, 2018 द्वारा इसमें पश्चात्पूर्ति संशोधन किए गए।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(MRTS-II)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2019

G.S.R. 601(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Metro Railways (Carriage and Ticket) Rules, 2014, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Metro Railways (Carriage and Ticket) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Metro Railways (Carriage and Ticket) Rules, 2014, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

“3. **Carriage of goods or luggage.**- (1) No person shall, while travelling in metro railway, carry with him any goods other than one baggage containing personal belongings not exceeding 80 centimetres x 50 centimetres x 30 centimetres in size and 25 kilograms in gross weight, except with prior approval of the metro railway administration. Baggage in form of bundles is not permitted.

(2) In case of a dedicated metro line for airport connection, no person shall, while travelling in metro railway, carry with him any goods other than two baggages containing personal belongings not exceeding 90 centimetres x 75 centimetres x 45 centimetres in size and 32 kilograms in gross weight, except with prior approval of the metro railway administration. Baggage in form of bundles is not permitted”.

[F. No. K-14011/16/2018-MRTS-II]

K. SANJAY MURTHY, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 899 (E), dated the 16th December, 2014 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 837(E), dated the 6th September, 2018.